

फा./1-40/केविस/गुरुग्राम संभाग/हिसार-कैंट/2026-27/ 1096

दिनांक: 10/09/2026

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय सैन्य स्थल हिसार में निष्प्रयोज्य/अप्रचलित घोषित किये गए अनुपयोगी सामग्री जैसे—रद्दी, पुराने समाचार-पत्र, पुरानी उत्तर-पुस्तिकाएं (Answer Sheets), गत्ते, निष्प्रयोज्य फाइलें, विविध पत्रिकाएं एवं अन्य कबाड़ सामान जो रिकॉर्ड के अनुसार संरक्षित (Preserve) सामान की नीलामी दिनांक 22 सितम्बर 2026 को सुबह 11:00 बजे से पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय सैन्य स्थल हिसार के परिसर में सक्षम अधिकारी द्वारा कंडमनेशन कमेटी के सदस्यों के समक्ष की जाएगी। नीलामी से सम्बंधित नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं, जिनको मौके पर भी उल्लेखित किया जायेगा:-

नियम एवं शर्तें :-

1. सभी सामान पुराना, प्रयोग किया हुआ एवं निष्प्रयोज्य/अप्रचलित है।
 2. उपरोक्त सामान की नीलामी "जैसा है, जहाँ जैसी स्थिति में है" के आधार पर की जाएगी।
 3. विद्यालय का कोई भी कर्मचारी एवं उनके परिवार का सदस्य सार्वजनिक नीलामी में भाग नहीं ले सकता है।
 4. नीलामी के संबंध में सभी निर्णयों का अधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा एवं उसके लिए कारण बताना अनिवार्य नहीं होगा।
 5. नीलामी के दिन यदि फर्म के मालिक के स्थान पर उनके द्वारा कोई मनोनीत व्यक्ति बोली में भाग लेता है तो उसके पास सम्बंधित फर्म से बोली में भाग लेने के लिए प्राधिकार पत्र हो, जिसे नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति द्वारा विद्यालय में जमा करवाना होगा।
 6. नीलाम किये जाने वाले सामान को पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय सैन्य स्थल हिसार के परिसर में आकर कोई भी फर्मदाता दिनांक 18 सितम्बर 2026 को प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक देख सकता है।
 7. उच्चतम बोली लगाने वाली फर्म को तुरंत बोली उपरांत निष्प्रयोज्य/अप्रचलित घोषित सामान की बनी कुल राशि विद्यालय में कैश/ऑनलाइन आरटीजीएस अथवा एनईएफटी के माध्यम से विद्यालय में जमा करवानी होगी अन्यथा अगली उच्चतम बोली लगाने वाली फर्म को सामान नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए दे दिया जायेगा। इसलिए फर्म पर्याप्त राशि कैश के रूप में या अपने बैंक खाते में रखे एवं बैंक साथ लेकर विद्यालय में आये।
 8. सफल बोली लगाने के बाद कोई भी वस्तु किसी भी शर्त पर विद्यालय द्वारा वापिस नहीं ली जायेगी।
 9. उच्चतम बोली लगाने वाली फर्म को पूर्णराशि जमा करवाने के बाद ही सामान ले जाने का अधिकार होगा और नीलामी के बाद एक दिन के भीतर सभी सामान सफल बोलीदाता द्वारा उठाया जाना अनिवार्य होगा।
 10. सामग्री को विद्यालय से ले जाने के लिए वाहन इत्यादि का इंतजाम उच्चतम बोलीदाता फर्म को स्वयं ही करना होगा।
 11. यदि नीलामी वाले दिन न्यूनतम तीन फर्म बोली लगाने के लिए उपस्थित नहीं होती है तो उस स्थिति में नीलामी प्रक्रिया को उस दिन के लिए रद्द कर दिया जायेगा।
- प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय हिसार छावनी कोई भी कारण बताए बिना उक्त नीलामी प्रक्रिया को रद्द करने के लिए निर्बाध अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- नीलामी में भाग लेने वाली सभी फर्म उपरोक्त सभी शर्तों के पालन के लिए बाध्य होंगी।


PRINCIPAL/प्राचार्य
PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA
पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय हिसार छावनी
HISAR CANTT/ हिसार कैंट

वितरण:-

1. विद्यालय नोटिस बोर्ड तथा विद्यालय वेबसाइट।
2. अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति- पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय सैन्य स्थल हिसार।
3. प्राचार्य, समस्त के.वि. गुरुग्राम संभाग - ई मेल के माध्यम से।
4. उपायुक्त के.वि.सं.क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम संभाग - ई मेल के माध्यम से।